

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,

अनुसंधान भवन, 2. रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

NO. 6-9(131)/2005-E-III

दिनांक:-18.01.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष का अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के विषयक

परिषद के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के तहत समूह क तथा ख के सभी के कर्मचारियों/अधिकारियों को 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना है। रुपये 4200/- व उससे अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी समूह 'क' और 'ख (Non Gazetted सहित)' अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अचल संपत्ति संबंधी अपना विवरण केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन को निश्चित रूप से दिनांक 31 जनवरी 2021 तक निर्धारित प्रोफॉर्म में प्रस्तुत करें।

सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से अनुरोध है कि वह यह विवरण सम्पूर्ण सटीक रूप से भरे, किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ा जाये। वे प्रत्येक कॉलम में मांगी गई सूचना पूर्ण रूप से भरे। यदि कोई भी कॉलम गलत/अधूरा (incorrect / incomplete) रूप से भरा जाता है तो कार्यालय द्वारा यह माना जायेगा कि विवरण विधिवत व समय पर जमा नहीं किया गया। सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने अचल संपत्ति विवरण में **"No. Change** अथवा **Same as last year"** इत्यदि न लिखें।

सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपना अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2021 तक भर कर इस अनुभाग में जमा करायें।


(सुदेष्णा सान्याल)

अवर सचिव (के. का.)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर मुख्यालय /सीएसआईआर,कॉम्प्लेक्स /आरएबी /एचआरडीसी /आईपीयू/ विज्ञानकेन्द्र/ एमबीएसए /टीकेडीएल /एचआरडीजी /उडिप /एमबीएसए /विज्ञानकेन्द्र/ टीकेडीएल /यूआरडीआईपी के सभी प्रभागों/ अनुभागों के प्रधानों को - इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत स्टाफ-सदस्यों में इसे परिचालित करें।
2. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
3. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर का कार्यालय
7. विधि सलाहकार के निजी सचिव
8. सीएसआईआरमुख्यालय /सीएसआईआरकॉम्प्लेक्स/ आरएबी /एचआरडीसी /आईपीयू /विज्ञानकेन्द्र/ एमबीएसए/ टीकेडीएल के सभी सूचना पट्ट
9. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर डालें।
10. कार्यालय प्रति